तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/7/2025	पत्रावली पेश हुई। वकु. उप. / वहम प्रार्थना-पत्र 128 एल आर एक्ट के तहत सुनी जा चुकी है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.51 हैक्टे. वाके कैंच के संबंध में पैमाइश टीम गठित करते हुए स्वयं एवं उभयपक्ष कारान की उपस्थिति में पैमाइश अनुसार मुड्डी गढ़ाई किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली बैतल शुमार दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह R.A.S.)

(5)

प्रकरण सं. 06/22
किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक 06/7/2023

1. तेजीराम उम्र 56 साल पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई

प्रार्थी

बनाम

1. तोताराम पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी ऊँच तहसील नदबई
2. देवकीनंदन पुत्र प्रभु जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई
3. दामोदर पुत्र प्रभु जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई
4. शिवचरन पुत्र गिर्राज जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई
5. सतीश पुत्र गिर्राज जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई
6. दिनेश पुत्र भागमल जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई
7. रामनिवास पुत्र भागमल जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई
8. वृजेश पुत्र भागमल जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री अशोक कुमार एडवोकेट प्रार्थी की तरफ से

श्री लक्ष्मण सिंह एडवोकेट अप्रार्थी की तरफ से

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय

1. यह है कि खसरा न. 1235 रकवा 0.51 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थित है, नकल जमाबंदी सं. 2075 से 2078 वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई पेश है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 की आराजीयात प्रार्थी की खरीशुदा भूमि है। जिस पर प्रार्थी व वयनामा से ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी के चिपटेमा अप्रार्थीगण के खसरा न. 1234 व 1184 व 1185, 1186 लगा हुआ है। जिसकी आड में अप्रार्थीगण मौके पर प्रार्थी काश्त नहीं करने दे रहे हैं तथा काश्त में दखलंदाजी करते है तथा प्रार्थी के रकवा पर कब्जा करने पर आमादा है। इसलिये मौके पर खसरा न. 1235 की पैमाईश कर सीमा चिन्हित कर मुड्डी गढाई करवाया जाना न्यायोचित है।
3. यह कि अप्रार्थीगण मे दिनांक 11.04.2022 को यह धमकी दी है कि वह कानूनी पेचिदगीयों में उलझाकर उक्त खसरा न. की सीमाज्ञान एवं मुड्डी गढाई नहीं होने देंगे तथा जबर्दस्ती काश्त नहीं करनें देंगे तथा कब्जे से बेदखल करेंगे व कोर्ट में झूठे दावा व स्थान आदेश प्राप्त करती सीमाज्ञान नहीं होने देंगे जबकि विवादित महज सीमाज्ञान का है। इसलिये सीमाज्ञान करवाया जाकर मुड्डी गडवाई करवाया जाकर कब्जा करवाया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

4. अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा न. 1235 की पैमाईश कर सीमाज्ञान कर चिन्हित कर मुड्डी गढाई के आदेश प्रदान करें। (5)

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 एलआर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो/प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 8 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स. 2 लगायत 8 के खिलाफ एक तरफा कार्यवांही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी स. 1 की और जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

6. यह है कि अप्रार्थी स. 1 द्वारा अपने जबाव में वर्णित किया कि :–

   1. यह है कि मद सं. 1 के के मुताबिक आराजी खसरा न. 1235, रकवा 0.51 का ग्राम ऊँच में स्थित होना स्वीकार है। उक्त खसरा न. 1235 रकवा 0.51, 1234 रकवा 0.25, 1233 रकवा 0.27 ग्राम ऊँच तहसील नदबई पर अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 29.05.1998 से ताहाल निरंतर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज चला आ रहा है। उक्त खसरा न. 1235 ग्राम ऊँच पर प्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त आराजी के साबिक खसरा न. 829/2 रकवा 1 वीघा ग्राम ऊँच को पूरन पुत्र प्रभाती जाति गूजर निवासी लालपुर तहसील नदबई से दिनांक 29.05.1998 को तथा 829/3 रकवा 1 वीघा 1 बिस्वा ग्राम ऊँच को दाताराम पुत्र प्रीााती जाति गूजर निवासी लालपुर तहसील नदबई से तथा 829/4 रकवा 19 बिस्वा ग्राम ऊँच को रामखिलाडी पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार निवासी लालपुर से दिनांक 29.05.1998 को तथा साबिक खसरा न. 829/5 रकवा 1 वीघा ग्राम ऊँच तहसील नदबई को किशन पुत्र प्रभाती जाति गूजर निवासी लालपुर तहसील नदबई से जरिये रजि. वयनामा खरीद किया तथा तभी से उक्त आराजी के उक्त साबिक खसरा न. व नवीन खसरा न. 125,1234,1233 ग्राम ऊँच तहसील नदबई पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त खातेदारी के रूप में चला आ रहा है। उक्त आराजी के साबिक खसरा न. 829 ग्राम ऊँच के किसी भी हिस्से पर कुशलचंद पुत्र मोतीलाल जाति वैश्य निवासी भरतपुर का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा तथा उक्त आराजी के हाल खसरा न. 1235 ग्राम ऊँच पर प्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा रिपोर्ट हल्का पटवारी ग्राम ऊँच दिनांक 08.07.2020 से यह भलीभांति साबित है।
   2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जिस तरीके से वर्णित की गई है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। खसरा न. 123 ग्राम ऊँच तहसील नदबई पर कुशलचंद का किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा तथा साबिक खसरा न. 829 ग्राम ऊँच के किसी भी हिस्से पर उक्त कुशलचंद का कोई कब्जा काश्त नहीं था तथा प्राथ्री ने उक्त कुशलचंद से कोई कब्जा प्राप्त नहीं किया। खसरानम्बरान 1235, 1234,1233 ग्राम ऊँच पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा काश्त सन 1998 से चला आ रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2020 से यह साबित हो रहा है। साबिक खसरा न. 829 ग्राम ऊँच का नक्शा ट्रेस तरमीम किये बिना ही पट्टे किये गये थे तथा उक्त खसरा नम्बरान पर अप्रार्थी पुराने समय से काबिज काश्तकार चला आ रहा है। खसरा न. 1234 व 1234 आपस में लगे हुये हैं। प्रार्थी ने अदालत श्रीमान अप्रार्थी सं 1 व अन्य के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए व प्रार्थना पत्र 212 आरटीए कर रखा है। जो विचाराधीन है तथा आगामी तारीख पेशी 29.06.2022 नियत है। जिसमें टीआई लगा हुआ है। इसके अलावा खसरा न. 1235 ग्राम ऊँच बाबत् अप्रार्थी ने दावा उनवानी तोताराम बनाम तेजीराम अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए अदालत श्रीमान में कर रखा है तथा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए विचाराधीन है जिसमें भी रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश श्रीमानजी ने दे रखा है। ऐसी स्थिति में धारा 128 एलआर एक्ट की सरसरी

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

(6)

कार्यवाही कानूनन नहीं की जा सकती उक्त उनवान के दावा व प्रार्थना पत्र में तारीख पेशी 28.06.2022 नियत है।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 11.04.2022 को अप्रार्थी ने प्रार्थी को किसी भी मुकाम पर कोई धमकी नहीं दी प्रार्थी का खसरा न. 1235 ग्राम ऊँच तहसील नदबई पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा विवादित खसरा न. 1235 ग्राम ऊँच पर अप्रार्थी सं. 1 का कब्जाकाश्त सन 1998 से निर्वाध चला आ रहा है। इससे पूर्व अप्रार्थी सं. 1 ने जिन लोगों से उक्त रकवा खरीदा था, उनका कब्जा काश्त था स्वयं प्रार्थी ने 188 आरटीए का दावा अप्रार्थी व अन्य के विरूद्ध कर रखा है तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति की टीआंई ले रखी है। जबकि प्रार्थी का उक्त खसरा न. 1235 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी को बेदखली का दावा लाकर व बेदखल कराने के बाद पैमाईश कराने व पत्थरगढी कराने का हकदार है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 कानूनी है व काबिल गौर अदालत है।
5. यह कि मद सं. 5 कानूनी है।
6. यह कि मद सं. 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का विवादित खसरा न. 1235 रकवा 0.51 ग्राम ऊँच तहसील नदबई पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रार्थना पत्र 128 एलआर एक्ट के तहत प्रार्थी उक्त न. पर कब्जा प्राप्त करना चाहता है, जो कानूनन गलत है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

7. यह प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी संबत 2075–78 वाके ग्राम उंच नकल नक्शा वाके ग्राम ऊंच , नकल मौका रिपोर्ट खन. 1235 वाके ग्राम ऊंच दिनांक 09.07.2020 व दिनांक 26.06.2020 व 22.07.2020 नकल आदेश तहसीलदार पैमाईश टीम गठित पत्रांक 2146 दिनांक 15.07.2020, पेश किया गया।
8. अप्रार्थी/गैर सायल द्वारा दस्तावेजात साक्ष्य के रूप में नकल मौका रिपोर्ट पर्चा दिनांक 09.07.2020, नकल फोटो प्रति आदेशिका ता. 22.01.21 से 03.06.2021 उनवानी तोताराम बनाम तेजीराम वगै0 न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी नदबई, नकल फोटो प्रति दावा व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. उनवानी तेजीराम बनाम तुलाराम वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई ,नकल फोटो प्रति दावा उनवानी तोताराम बनाम तेजीराम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी नदबई, नकल फोटो प्रति बयनामा तारीख दिनांक 29.05.1998 किता 4, नकल फोटोप्रति नक्शा वाके ग्राम ऊंच सन 1964, नकल मौका पर्चा जांच दिनांक 21.12.2021 वाके ग्राम ऊंच नकल जमाबन्दी संवत 2028 वाके ग्राम ऊंच, नकल आर्डरशीट ता. 22.01.2021 उनवान तोताराम बनाम तेजीराम मु.स. 13/2021, नकल फोटो प्रति प्रार्थना पत्र 212 आर. टी.ए. उनवान तोताराम बनाम तेजीराम मु.स. 13/2021, नकल फोटो प्रति मौका जांच ख.न. 1235 ग्राम ऊंच दिनांक 21.12.2021, नकल नक्शा ट्रेस संवत 2028 ग्राम ऊंच पेश किये गये।
9. प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ताओ की ओर से बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. के तहत सुनी गई प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।
10. हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि विवादित खसरा न. 1235 रकवा 0.51 है. वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थित है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता स. 62 के आराजी ख. न. 1235 रकवा 0.51 हैक्ट. पर प्रार्थी तेजीराम पुत्र भगवानसहाय हिस्सा पूर्ण जाति

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

ब्राह्मण साकिन ऊँच खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजीयात के साबिक खसरा न. 829 मिन है, जो कि सिवायचक का रकवा है, उक्त साविक खसरा नम्बरान में से कुशल चन्द जैन पुत्र मोतीलाल जैन जाति वैश्य निवासी भरतपुर को विधिवत रूप से अलॉटमेन्ट की गई तथा मुताबिक अलॉटमेन्ट से कुशलचन्द जैन को उक्त आराजी गैरखातेदार के रूप में दर्ज हुई तथा गैरखातेदारी से खातेदार के रूप में आई। प्रार्थी तेजीराम पुत्र भगवानसहाय को कुशलचन्द जैन ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा किया गया, तथा प्रार्थी तेजीराम ने मुताबिक वयनामा भी विधिवत रूप से दाखिला खारिज भी इनके हक में हुआ। मुताबिक वयनामा कब्जा भी रहा है, चूंकि अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी को अलॉटमेन्ट से ही कहीं पर चेलेन्ज नहीं किया व न ही गैरखातेदारी से खातेदारी को चेलेन्ज किया इस प्रकार विक्रेता का लगातार कब्जा रहा है। विक्रेता ने विधिवत रूप से प्रार्थीगण के हक में रजिस्टर्ड वयनामा कराया गया व कब्जा भी संभलाया गया। इस प्रकार प्रार्थी तेजीराम एक रिकॉर्डेड खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड से साबित है। विवादित आराजी खसरा न. 1235 के चिपटेमा खसरा न. 1234 व 1184,1185 व 1186 लगा हुआ है। जिसकी आड में प्रार्थी के खसरा न. 1235 में जबरन कब्जा कर काश्त करने नहीं दे रहे हैं, तथा दखलंदाजी कर रहे हैं। उक्त आराजी के सबंध में अप्रार्थी द्वारा वाद न्यायालय में विचाराधीन दिनांक 09.07.2020, नकल फोटो प्रति आदेशिका ता. 22.01.21 से 03.06.2021 उनवानी तोताराम बनाम तेजीराम वगै0 न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी नदबई, नकल फोटो प्रति दावा व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. उनवानी तेजीराम बनाम तुलाराम वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई ,नकल फोटो प्रति दावा उनवानी तोताराम बनाम तेजीराम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी नदबई पेश कि गयी जिसमें बताया गया है कि उक्त आराजीयात पर न्यायालय द्वारा स्थगन रिकॉर्ड व मौके के जारी कियो गये है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में पैमाईस बाबत मौके रिपोर्ट पेश कि गई जिनसे साबित है कि उक्त आराजी की पैमाईश वक्त व्यवधान पैदा होने की संम्भांवाना भी जाहिर कि गई है तथा मौके पर पूर्ण रूप से पैमाईश नही हो पाई। प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से विवाद पैमाईश का है। विवादित आराजी की पैमाईश कराई जाने से स्थगन का प्रभावित भी नही होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट बाबत् पैमाईश करवाकर सीमा चिन्हित कर मुड्डी गढाई स्वीकार किया जाता है।

11. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 128 एलआर एक्ट स्वीकार करते हुये धारा 111 के अधिकारों का उपयोग करते हुये तहसीलदार नदबई को आदेशित किया जाता है कि आप विवादित आराजी खसरा न. 1235 रकवा 0.51 है. वाके ऊँच में पैमाईश हेतु टीम गठित करते हुये स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराया जावे तथा खसरा न. 1235 की सीमा कहां से कहां तक है स्पष्ट करते हुये पैमाईश अनुसार मुड्डी गढवावें व खसरा न. 1235 की सीमा में अन्य किसी के कब्जे में हो तो उसे बेकब्जा किया जाकर प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया जावे। उक्त आराजीयात पर वक्त पैमाईश आदेश न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रभावित नही होगा। तथा मौके पर शांति व्यवस्था होने का अंदेशा हो तो पुलिस इम्दाद की मदद ली जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/07/2023 को न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)